भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 रा मजला, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. दूरध्वनी क्र.- (022)22039680, फॅक्स - 22086984. ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

Government of India

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel No.- (022) 22039680, Fax - 22086984 e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/22/Govt/61224671/**Bihar**/Ch.5/जा.सं. / 61094251 01/12/2022

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय,

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
लेखा-कोश भवन, ए विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
मुंबई-400 051.

विषय--**Revised rates of Dearness Relief @ 38% to Bihar Government Pensioners and Family Pensioners w.e.f. 01/07/2022. (Enhanced from 34% to 38%).**

संदर्भ --**Govt. of Bihar, Resolution No.3ए-3.पु.-(भत्ता)-01/2022--9730/वि.** Dated 18/10/2022.

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Bihar, Patna** के पत्र संख्या Pen--09--1759 दिनांक 07/11/2022 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Bihar** सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **The said Orders have been uploaded on this office website i.e..cag.gov.in/ae/mumbai/en**

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
(signature)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/22/Govt/61224671/**Bihar**/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती, विभाग, अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), Bihar, Patna के पत्र संख्या Pen-09--1759 दिनांक 07/11/2022.

संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2022–................................/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:–..................

विषय:– **सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक–01/07/2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर 38% महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प सं०–3023/वि० दिनांक–08/04/2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक–01/01/2022 के प्रभाव से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/3/2022-E-II(B), दिनांक–03/10/2022 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक–01/07/2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 34% से बढ़ाकर 38% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि–

(i) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक–01.07.2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 34% प्रतिशत से बढ़ाकर 38% करने की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान दिनांक–01/07/2022 के प्रभाव से किया जाएगा।

(iii) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे–मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

5. उक्त वर्धित दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह अक्टूबर, 2022 के वेतन में जोड़कर होगा, किन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2022 से आकलित बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर, 2022 के वेतन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वर्धित दर से महँगाई भत्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01/2022 — 9730 /वि० पटना, दिनांकः— 18-10-2022

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

18/10/2022